डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

मगना गुर्जर पिता देवा गुर्जर निवासी आरणी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– पेरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0
मुकदमा नम्बर 150 सन् 2015 राजस्व वाद
यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X.............................. मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम आरणी पटवार हल्का अरनिया रासा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1177 रकबा 3.00 हैक्टेयर किस्म बजंड बिलानाम काबिल काश्त में से 0.75 हैक्टेयर भूमि का वादी (आवन्टी) आवन्टन नियमों के तहत आवन्टन शर्तों की पालना करता चला आ रहा है एवं मौके पर वादी (आवन्टी) का कब्जा है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज, एव नक्शें में तरमीम की कार्यवाही के आदेश तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 25 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।

(उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा))

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner